सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश/सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित/2026
नीति परिपत्र सं. 9.4.34 / 2026 दिनांक 12th जून, 2026
{(ई-ऑफिस फाइल सं. RMDIV-22/64/2025-RMD Division (कम्प्युटर सं. 297826 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/ Policy Guidelines/ Operation & Maintenance /2026
Policy Circular No. 9.4.34 / 2026 dated 12th June, 2026
{(Decision taken on E-Office File No. RMDIV-22/64/2025- RMD Division (Comp No. 297826)}

विषय: ओ एंड एम कार्यों के लिए पीबीएमसी मोड के मानक आरएफपी दस्तावेज़ में उल्लेखित उपस्करों की सूची में संशोधन करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

Sub: Clarifications regarding modifications in the list of Equipments mentioned in Standard RFP Document of PBMC Mode for O&M Works -reg:

भाराराप्रा नीति परिपत्र सं .9.4.32/2025 दिनांक 08.11.2025 द्वारा पीबीएमसी कार्यों के मानक आरएफपी दस्तावेज़ में उल्लेखित उपकरणों की सूची में संशोधन जारी किया गया है। तदनुसार, नवीनतम प्रौद्योगिकियों/उपस्करों अर्थात **स्वचालित"पैथोल फिलिंग, कॉम्पैक्टिंग एवं पैचिंग मशीन"** और) **"मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन"**भाराराप्रा के रखरखाव मैनुअल में उल्लेखित विशिष्टताओं सहित को पीबीएमसी (संविदाकार द्वारा तैनात किया जाएगा।

The modifications in the list of Equipments mentioned in Standard RFP Document of PBMC Works has been issued vide NHAI Policy Circular No. 9.4.32/2025 dated 08.11.2025. Accordingly, the latest technologies/ equipments i.e. **"Automatic Pothole Filing, Compacting & Patching Machine"** and **"Mechanized Road Sweeping Machine"** (with specifications as mentioned in NHAI's Maintenance Manual) shall be deployed by the PBMC Contractor.

2. इसके अलावा, भाराराप्रा नीति परिपत्र सं .9.4.33/2026 दिनांक 23.01.2026 द्वारा वर्तमान में जारी कार्यों में उक्त उपस्कर की तैनाती के लिए अतिरिक्त लागत के आकलन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)परिचालित की गई।

Further, the Standard Operating Procedure (SOP) for assessment of additional cost for the deployment of said Equipment in ongoing works was circulated vide NHAI Policy Circular No. 9.4.33/2026 dated 23.01.2026.

Contd.....2/-

3. इस संबंध में, फील्ड यूनिटों की ओर से एसओपी की प्रयोज्यता, लागत मूल्यांकन और नामित अनुमोदन प्राधिकारी से संबंधित कई प्रश्न प्राप्त हुए हैं। तदनुसार, भाराराप्रा नीति परिपत्र सं. 9.4.32, दिनांक 08.11.2025 के संबंध में मशीनीकृत उपस्करों की तैनाती के बारे में निम्नलिखित स्पष्टीकरण और संशोधन किए गए हैं:

In this regard, multiple queries have been received from Field Units regarding the applicability of the SOP, Cost Assessment and the designated approving Authority. Accordingly, the following clarifications and modifications are made for NHAI Policy Circular No. 9.4.32 dated 08.11.2025 regarding the deployment of mechanized equipment:

i. मशीनीकृत उपस्कर तैनात करने के लिए परिपत्र सं. 9.4.33/2026 द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पीबीएमसी, एचएएम और बीओटी मोड के अंतर्गत ओ एंड एम (संचालन एवं रखरखाव) परियोजनाओं पर लागू होती है।
The Standard Operating Procedure (SOP) issued via Circular No. 9.4.33/2026 on 23.01.2026 for deploying Mechanized Equipment applies to O&M (Operation and Maintenance) Projects under PBMC, HAM and BOT modes.

ii. यह एसओपी प्राथमिक रूप से भाराराप्रा परियोजनाओं में ऐसे मशीनीकृत उपस्करों के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मासिक आधार पर हायरिंग प्रभारों के मूल्यांकन से संबंधित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस में कोई परिसंपत्ति सृजन नहीं है, इसे अनुबंध/रियायत में चेंज ऑफ स्कोप (सीओएस) के रूप में नहीं माना जाएगा।
This SOP deals the with assessment of hiring charges on monthly basis with primary intention to encourage the development of such Mechanized Equipment in NHAI Projects. Keeping in view that there is no asset creation, it shall not be construed as a change of scope (COS) in Contract/Concession.

iii. इस संतुष्टि के पश्चात कि भाराराप्रा के रखरखाव मैनुअल 2025 के साथ पठित भाराराप्रा नीति परिपत्र सं. 9.4.32/2025 दिनांक 08.11.2025 के अनुरूप उपरोक्त उपस्कर उल्लिखित विनिर्देश का सख्ती से अनुपालन करते हैं, क्षेत्रीय अधिकारियों को इन मशीनीकृत उपस्करों की तैनाती को मंजूरी देने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्रत्यायोजन किया जाता है।
Regional Officers are delegated to be the Competent Authority to approve the deployment of these Mechanized Equipment after satisfying that the aforementioned Equipment strictly comply with the specification outlined in NHAI's Maintenance Manual 2025 read in conjunction with NHAI Policy Circular No. 9.4.32/2025 dated 08.11.2025.

Contd.....3/-

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

12/08/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.

2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.

3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.